प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

सेवामें,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

पत्रांक / प्रबन्ध–2 / 3464 / स०अ० प्राथमिक, मेरिट सूची / 2024–25, दिनांक 15 अगस्त, 2024

**विषयः–** **सहायक अध्यापक प्राथमिक पदों हेतु आवेदकों की चयनित पात्रता सूची विभागीय बेबसाईट पर आनलाईन प्रदर्शित के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक प्रा०शि०–दो(2) / 785(II)–2024 / 9671–73 / 2024–25 / दिनांक 13 अगस्त, 2024 के अनुपालन में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर भरे जाने हेतु दिनांक 18–08–2024 को इस जनपद में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार की गयी अन्नतिम प्रतीक्षा सूची (एक)(दो)(तीन)संलग्न कर विभागीय वेबसाईट schooleducation.gov.in पर प्रदर्शित / अपलोड करने हेतु प्रेषित की जा रही है, कृपया **अनन्तिम प्रतीक्षा सूची (एक), (दो), (तीन)** अपलोड करने की कृपा करें।

अतः अर्ह अभ्यर्थी निम्नलिखित अभिलेखों के साथ काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करेंगे।

1. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों / प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
2. अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र / प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
3. स्थायी निवास / मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टीफिकेट (यदि सेवाकाल में द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण किया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति)।
5. दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण प्रमाण पत्र मूल प्रति।
6. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यालय ज्ञाप संख्या–164 दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता(संशोधन) नियमावली, 2019" के प्राविधान से आच्छादित है तो सम्बन्धित अभिलेख की मूल प्रति।
8. वर्ष 2018 एवं 2020 के डी०एल०एड० आवेदन कर्ता, जो पूर्व में चयनित नही हुए है तथा जिन्हें पूर्व आवेदन के अनुसार वर्तमान चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है, के चयनित होने की दशा में समान पद पर पूर्व से कार्यरत न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।
9. उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य राज्य से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य मे हुआ हो, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण का शपथ पत्र। (शासनादेश संख्या–254 / कार्मिक–2 / 2002 दिनांक 10–10–2002 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।)
10. समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति दो–दो प्रतियों में साथ लावें।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्धारित तिथि को काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नही किया जाता है तो उनके अभ्यर्थन पर कोई विचार नही किया जायेगा। विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशित सूची में जिन अभ्यर्थियों के मेरिट उसी वर्ग विषय और श्रेणी में अधिक हो तो ऐसे अभ्यर्थी अपने शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त अभिलेखों सहित उक्त निर्धारित तिथि को स्वयं चयन समिति के समक्ष उपस्थित होवें व अपना पक्ष प्रस्तुत करे, ऐसे अभ्यर्थियों के भविष्य में किसी भी प्रकार के दावे पर कोई विचार नही किया जायेगा।

संलग्नकः–

1. सीधी भर्ती चयनित अभ्यर्थियों की सूची।
2. अनुसूचित जाति बैकलांग चयनित अभ्यर्थियों की सूची।
3. दिव्यागंजन बैकलाग चयनित अभ्यर्थियों की सूची।

भवदीय,

(विनोद कुमार ढौंडियाल) 15/8/2024
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
टिहरी गढवाल, नई टिहरी।

## :: शपथ पत्र ::

**समक्षः– जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।**

द्वारा– मै शपथकर्ता/कर्ती.............................................................पिता/पति का नाम.......................................................... निवासी............................................................................................ ईश्वर की शपथ लेकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नानुसार शपथ करता/करती हूँ।

1. यह कि, शपथकर्ता उपरोक्त दर्शाये गये पते पर निवास करता/करती हूँ। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी मेरिट सूची के अनुसार मेरा क्रमांक..................... पर दर्ज है, जो सही है।
2. यह कि मेरे द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन किया है उसमें सभी संलग्न प्रमाण–पत्र सही एवं सत्य है। यदि मेरे शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्रो में कोई ऐसा तथ्य संज्ञान में आता है जिसमें मेरी नियुक्ति निरस्त की जाती है तो मुझे मान्य होगा/होगी। मेरे द्वारा एन॰सी॰टी॰ई॰ से मान्यता प्राप्त संस्थान से डी॰एल॰एड॰ या अन्य प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त की है।
3. यह कि मेरे द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा................................................................................ राज्य से उत्तीर्ण की है। मेरे माता–पिता वहां राजकीय सेवा/अन्य व्यवसाय में कार्यरत थे।
4. यह कि मै समय–समय विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।
5. यह कि मेरे द्वारा अपनी जाति एवं निवास प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में जो प्रमाण–पत्र संलग्न किया है वह सत्य और सही है।
6. यह कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश/अन्य प्रदेशों से डी॰एल॰एड॰ अथवा ऐसा प्रशिक्षण जिसे उत्तराखण्ड राज्य में डी॰एल॰एड॰ नाम से जाना जाता है किया है। वहां पर दाखिले के समय सम्बन्धित प्रदेश के स्थाई निवास की बाध्यता नहीं थी।
7. यह कि वर्तमान में मेरे विरूद्व किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज/विचाराधीन नही है।
8. यह कि मेरे अन्य राज्य के निवासी होने तथा विवाह उत्तराखण्ड राज्य में होने की स्थिति में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

मै शपथकर्ता नाम.........................................पिता/पति.............................................................को सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के क्रमांक 01 से.......... तक के कथन मेरी निजी ज्ञान से सत्य व सही है। आज दिनांक.................................को स्थान..............................................................................में हस्ताक्षर कर सत्यापित कर दी।

स्थानः–..............................

दिनांक..............................

हस्ताक्षर शपथकर्ता